सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2011/0001/0

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 71/2011
राजेन्द्रसिह पुत्रश्री महतावसिह जाति ठाकुर निवासी कूकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

– – – – वादी

बनाम

1–जीतेन्द्र पुत्रश्री महेश 2–हरवेन्द्रसिह 3–मनीषकुमार पुत्रगण महेश नाबालिंग 4–बैकुण्ठी पुत्री बिजेन्द्रसिह 5–महेश पुत्र बिजेन्द्रसिह जातिगण ठाकुर निवासीगण कूकरा तहसील सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड हौल्डर

.....तरतीवी प्रतिवादी

वद वास्ते स्वत्व घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 188 आरटीए

उपस्थिति –
1–श्री योगेशकुमार शर्मा .....(वादी)

निर्णय

दिनांक: 05.09.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह दावा वादी द्वारा पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 724/540 रकवा 1 विश्वा स्थित वाके ग्राम कूकरा मांकरा तहसील सैपऊ उक्त प्रकरण में विवादित है। विवादित कुर्षि भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 712/540 क्षेत्रफल 4 विश्वा स्थित वाके ग्राम कूकरा तहसील सैपऊ था जिसके अभिलिखित खातेदार कृषक केसरसिह पुत्र हीरासिह व देवसिह पुत्र हुकमसिह एंव विजेन्द्रसिह पुत्र अर्जुनसिह जाति ठाकुर निवासी कूकरा बराबर भाग के यानि 1/3–1/3 भाग के सहखातेदार थे जिनमे आपस मे जरिये न्यायालय बटवारा हुआ मुताबिक डिकी बटवारे के खसरा नम्बर 722/540 रकवा 1 विश्वा के रामसिह एंव 723/540 रकवा 1 विश्वा देवीसिह एंव 724/540 रकवा 1 विश्वा के बिजेन्द्रसिह पुत्र अर्जुनसिह के बटवारे में आया और उसी प्रकार से राजस्व अभिलेख में मुताबिक डिकी के नामा0 स्वीकार किया गया । नामा0 संख्या 824 दिनांक 23.06.2008 को स्वीकार किया गया और राजस्व अभिलेख में अंकन किया गया। विवादित कृर्षि भूमि से खसरा नम्बर 540/1 रकवा 4 विश्वा स्थित वाक ग्राम कूकरा में से बिजेन्द्रसिह पुत्र अर्जुनसिह ने स्वंय में निहित 1/3 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विकय बिलेख दिनांक 10.03.2004 को मुवलिंग 54,000 हजार रूपये में वादी राजेन्द्रसिह पुत्र मेहतावसिह जाति ठाकुर निवासी कूकरा तहसील सैपऊ के पक्ष विकय पत्र निस्पादित एंव पंजीवद्व करा दिया और मौके पर स्वंय के समान अधिपत्य करा दिया तभी से विवादित आराजी पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

और स्वामी अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी अधिपत्यधारी होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। विवादित आराजी के सम्बध में स्व0 बिजेन्द्रसिह पुत्र अर्जुनसिह एंव अन्य सहखातेदार केशवसिह व देवीसिह ने आपस में वटवारे के वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया और वटवारे की डिक्री चुपचाप वाला प्राप्त कर बिना किसी प्रकार की सूचना दिये वादी की पीठ पीछे बैंक पर वटवारे की डिक्री प्राप्त की और डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करा लिया एंव पृथक–पृथक नम्बर कायम करा लिये उक्त डिक्री व निर्णय वादी के पीठ पीछे बैंक पर चुपचाप पोषीदा तरीके से प्रापत कर ली जो वादी के विरूद्व शून्य व प्रभावहीन है और जिससे वादी किसी प्रकार की विधिक रूप से प्रतिवंधित नही है जिसे इंगनोर करने में वादी सक्ष्म है। वादी अनपढा लिखा व कानूनी प्रक्रिया सक अनभिज्ञ सीधा साधा काश्तकार व्यक्ति है। जिसने स्वंय के पक्ष में स्व0 बिजेन्द्रसिह पुत्र अर्जुनसिह द्वारा निस्पादित विक्रय पत्र की छायाप्रति पटवारी हल्का को नामा0 स्वीकार किये जाने हेतु दे दी थी जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त विक्रय पत्र के अधीन नामा0 स्वीकार किये जानें को आश्वस्त कर दिया था जिसके आश्वासन में वादी रहा। बिजेन्द्रसिह पुत्रश्री अर्जुनसिह का दैहान्त स्वभाविक रूप से दिनांक 17.12.2008 को हो चुका है जिन्हौने अपनी मृत्यु के उपरान्त अपने अत्तराधिकारीगण के रूप में महेश पुत्र एंव पुत्री बैकुण्ठी को छोडा जिन्होने उनका समस्त तर्का प्राप्त किया है। स्व0 बिजेन्द्रसिह की मुत्यु के उपरान्त विवादित आराजी के सम्बध में हल्का पटवारी के द्वारा विरासत के आधीन नामा0 भरा गया और वास्ते जांच एंव स्वीकृति हेतु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.07.2010 को ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा के सरपंच द्वारा उक्त नामा0 संख्या 904 के पीठ पर स्व0 बिजेन्द्रसिह के स्थान पर वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष साजिस के आधार पर स्वीकार किया उपरौक्त नामा0 को स्वीकार करते समय न तो वादी को किसी प्रकार की सूचना दी गयी और वादी के पीठ पीछे बैंक पर स्वीकार किया गया जो वादी के विरूद्व शून्य एंव निष्प्रभावी है जिसे चैलेन्ज करने का वादी विधिक रूप से अधिकारी है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण करीव 1 माह पूर्व आये और वादी से कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम है जिस पर वादी को उपयोग व उपभोग नही करने देगें ना ही काश्त करने देगें। खाली कर दे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से मना किया तो उन्होने धमकी दी की वादी को जबरन बलपूर्वक बैदखल कर देगें और विवादित आराजी को अन्यत्र प्रभावशाली व्यक्ति को विक्रय कर देगें जो वादी को जबरन बैदखल कर देंगें इस प्रकार प्रतिवादीगण विवादित आराजी में निहित वादी के स्वत्व से स्पष्ट इन्कारी हो गये जिस पर वादी ने राजस्व अभिलेख की जानकारी की तो वादी को जानकारी हुई कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण ने चुपचाप साजिशान पीठ पीछे बैंक पर बिना किसी सूचना दिये वादी को बटवारा कराकर स्वंय के नाम अवैद्य रूप से गलत प्रविष्टियां अंकित करा ली है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरौक्त परिस्थितियो में वादी को यह आवश्यक हो गया है कि विवादित आराजी में निहित स्वंय के स्वत्व को जरिये सक्षम न्यायालय से घोषित करावे एंव राजस्व अभिलेख में अंकित गलत प्रविष्टियों को दुरूस्त कराकर स्वंय के नाम खातेदारी अंकित करावें

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवंधित करावे कि विवादित आराजी वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न वाधा उत्पन्न न करें और नाही वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल करें एंव नाही अन्य प्रभावशाली व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करें जिसे करा पाने का वादी विधिक रूप से अधिकारी है।

अन्त में निवेदन किया हे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 724/540 रकवा 1 विश्वा स्थित वाके ग्रम कूकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एंव प्रतिवादीगण के नाम गलत प्रविष्टियों को काटा जाकर वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां अंकित की जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नही करें एंव काश्त करने से नही रोके और नाही विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति के हक में रहन वय मुन्तकिल करें और नाही किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य पीडबल्यू–1 के रूप में जमावन्दी संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 112 वाके ग्राम कूकरा मांकरा प्रदर्श–1, जमावन्दी आधार वर्ष 2005 खाता संख्या 25 प्रदर्श–2, नामान्तकरण संख्या 104 प्रदर्श–3, असल विकय पत्र विकेता बिजेन्द्रसिह वहक राजेन्द्रसिह तारीखी 10.03.2004 प्रदर्श–4 के रूप में प्रस्तुत किये है।

अतः हमने एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 724/540 रकवा 1 विश्वा स्थित वाके ग्रम कूकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एंव प्रतिवादीगण के नाम गलत प्रविष्टियों को काटा जाकर वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां अंकित की जावें । अतः हम वादी को विकय पत्र (बयनामा) के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।
अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 724/540 रकवा 1 विश्वा स्थित वाके ग्रम कूकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का मुताबिक बयनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के नाम गलत प्रविष्टियों को काटा जाकर वादी के नाम से राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां अंकित की जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादी को विवादित आराजी से बेदखल नही करें एंव काश्त करने से नही रोके और नाही विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति के हक में रहन वय मुन्तकिल करें और नाही किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा करें। पर्चा डिकी जारी की जावे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ